

( नियम 26 )

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... नीमकाथाना

..... लीलामधर ..... बनाम ..... धर्मपाल कार्ड

किस्म मुकदमा ..... दादा ..... नं. .... 180 ..... सन् ..... 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/11/17	<p>रिपोर्ट खरिजा होम लाड पत्र पेश हुका वकील वादी उपखण्ड वाड पत्र दर्ज रजि 222 रिफा जाकर सम्मन बनाय इतिवादीको जारी होकर पठावली दिनांक 27/11/17 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना</p> <p>27/11/17 <b>आदी पत्र हुका</b> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>उप</b> <b>कार्य में</b> <b>उपखण्ड</b> <b>पुर्ण</b> <b>आदेशानुसार</b> दिनांक <u>28/11/17</u> को <b>उपखण्ड</b> <b>18 कि</b> <b>अपेक्षित</b> <b>दस्तावेज</b> <b>रिफा</b> <b>एड</b> <b>में</b> <b>कालांतर</b> <b>पेश</b> <b>हो</b></p>	
28/11/17	<p>वादी की कोर्ट के एड प्रार्थना पत्र वाकत भित्त तलवी का पेश होने पर पठावली नियत विधि के पूर्व आज पेश हुई। वादी उपखण्ड। वादी ने प्रार्थना पत्र में उचित रिफा कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाना चाहे नहीं चलाना चाहे है। तदुपरि वाकत वादी के हस्ताक्षर करवाये एवं वादी की पहचान श्री मन्दीप खेनी एड डायर कार्ड गई। प्रार्थना पत्र का कवलेकन रिफा रफ्त।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>कार, दादा वादी दिहा कर रकारीज रिफा जाना है पठावली केवल शुभाह होकर नफ्त ले कम होकर कारिका कफ्त हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी)</p>	<p>लीलामधर</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p>